कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 740 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 02/04/26

// वर्ष 2026 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को अनुबंधित दो वर्ष की शासकीय सेवा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की सूचना //

विषयांतर्गत वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.बी.बी.एस. (MBBS) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र–छात्राओं को उनके द्वारा किए गए अनुबंध के अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पदस्थापना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से दिनांक 03.04.2026 से 17.04.2026 तक Online Registration एवं Merit Generation की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है.

वर्ष 2026 में राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण समस्त अनुबंधित छात्र–छात्राएं इस काउंसलिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन मेरिट के आधार पर राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर पदस्थापना हेतु की जाएगीः –

समय–सारिणी

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	तिथि एवं समय
1	**ऑनलाइन पंजीकरण** (Registration)	**दिनांक:** 03 अप्रैल 2026 **समय** (Server Time) 11:00 Hrs. (11:00 AM) **से** **दिनांक:** 12 अप्रैल 2026 (Server Time) 23:59 Hrs. (11:59 PM) **तक**
2	**प्रथम मेरिट सूची का प्रकाशन**	**दिनांक:** 13 अप्रैल 2026
3	**दावा–आपत्ति दर्ज करना**	**दिनांक:** 15 अप्रैल 2026 **समय** (Server Time) 11:00 Hrs. (11:00 AM) **से** **दिनांक:** 16 अप्रैल 2026 (Server Time) 17:00 Hrs. (05:00 PM) **तक**
4	**अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन**	**दिनांक:** 17 अप्रैल 2026

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. मेरिट सूची केवल काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थी की ही बनाई जाएगी, यदि कोई अभ्यर्थी Online Counseling में सम्मिलित नहीं होता है तो वह काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया से वंचित रह जायेगे। बांड पोस्टिंग की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ही संपादित की जाएगी, अतः इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है, तो बांड से संबंधित समस्त दायित्व, जिसमें निर्धारित बांड राशि का भुगतान भी शामिल है, अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा एमबीबीएस में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
3. समान अंक होने पर अंतिम वर्ष के प्राप्तांकों को और उसके बाद वरिष्ठ उम्र को वरीयता दी जाएगी।
4. दावा–आपत्ति निर्धारित समय सीमा में छत्तीसगढ़ राज्य काउंसलिंग कक्ष, कमरा नंबर 503, पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर में दर्ज की जा सकती है।
5. च्वाइस फिलिंग (Choice Filling) एवं आवंटन की जानकारी पृथक से विभागीय वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी।

अभ्यर्थी निरंतर विभागीय वेबसाइट *www.cgdme.in* का अवलोकन करते रहें.

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

02/04/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

क्रमश––2––

पृ.क्रमांक / 741 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक / 02/04/26

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ0ग0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त,स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **(उक्त सूचना का प्रकाशन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाए तथा छात्र शाखा के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप अथवा अन्य उपलब्ध माध्यमों से भी अवगत कराया जाए।)**
4. स्टेट इन्फार्मेटिक्स ऑफिसर, एन.आई.सी. कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02/04/26

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.